

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

पीठकीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 264/2023

1. वेदप्रकाश पुत्र पतराम जाति बावरी निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— वादी

बनाम

1. पतराम पुत्र जैसाराम जाति बावरी निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

2. रामकुमार पुत्र पतराम जाति बावरी निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।


3. राजू पुत्र पतराम जाति बावरी निवासी तलवाड़ाझील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4. भांगी देवी पुत्री पतराम पत्नी राजाराम जाति बावरी निवासी ओडावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

5. लिछमा देवी पुत्री पतराम पत्नी कृष्णलाल जाति बावरी निवासी ओडावाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

—प्रतिवादीगण



वादा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए.घोषणा एवं खाता विभाजन

निर्णय

दिनांक :- 05.12.2024

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को स्वाति गुप्ता उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

(क.) वादी वेदप्रकाश को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 226/294(15) किला नम्बर 11, 12, 16/1/0.228 मे से 0.114 उतरी दिशा, 16/2/0.025 हैक्टर खाला, 19, 20/0.506 हैक्टर।

(ख.) प्रतिवादी संख्या 2 रामकुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 1 जी.जी.आर. के पत्थर नम्बर 226/294 (15) किला नम्बर 13, 14, 16/1/0.228 मे से 0.114 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 17, 18/0.506 हैक्टर।

(ग.) प्रतिवादी संख्या 3 राजू को प्राप्त आराजी:-चक नम्बर 1 जी.जी.आर. के नम्बर 226/294(15) किला नम्बर 23,24, पत्थर नम्बर 226/295(26) किला नम्बर 3/1/0.228, 3/2/0.025 हैक्टर, 8/0.253, 14/3/0.084 हैक्टर।



आराजा पर खातादार काश्तकार घोषित किये जाकर खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जाकर चक नम्बर 1 जी.जी.आर. के खाता संख्या 122/176 में से प्रतिवादी संख्या 1 पतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
युनिट सहायक कलेक्टर
पटन सहयोग टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---